न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-51/2016/भीलवाड़ा (2016/00042)

1. लालू पुत्र लच्छू, जाति भील, निवासी ग्राम चावण्डिया, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. भगवतसिंह पुत्र अमरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम चावण्डिया, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
3. सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि0, शाखा, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 1.7.2015 अपील संख्या 26/2009 .

उपस्थितः-

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोडेंटस अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः-22.12.2017

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 1.7.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 में अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चावण्डिया, तहसील सहाड़ा में स्थित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की साबिक आराजी नंबर 187/1-ख रकबा 7 बीघा, खसरा नंबर 187/1-घ/1 रकबा 3 बीघा 19

बिस्वा किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रार्थी ने इन आराजियात के चारो तरफ थोहरों की बाड़ लगा रखी है जो काफी पुरानी है । हाल बंदोबस्त में साबिक आराजी नंबर 187/1-ख रकबा 7 बीघा के हाल नंबर 166 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 167 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 168 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 169 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 170 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 176 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 177 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 178 रकबा 0.03 है0 किता 8 कुल रकबा 1.28 है0 तथा साबिक आराजी नंबर 187/1-घ/1 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा के हाल नंबर 179 रकबा 0.32 है0 कायम किये गये है । साबिक आराजी संख्या 187/1-ख का रकबा 1.51 है0 बनना चाहिये जिसकी जगह 1.28 है0 ही बनाया गया है, इस प्रकार इस खसरे में 0.23 है0 की कमी कर दी गयी है । इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 187/1-घ/1 रकबा 3.19 बिस्वा का हाल रकबा 0.85 है0 बनने चाहिये थे किन्तु 0.32 है0 रकबा ही कायम किया, इस प्रकार इस खसरे में 0.53 है0 की कमी की कर दी गई । इस प्रकार दोनों खसरें में कुल 0.76 है0 रकबा कम कर दिया गया जबकि मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । भू-प्रबंध अधिकारियों ने नक्शें में भी मौके की स्थिति से भिन्न नवीन नक्शा बना दिया तथा रकबा कम कर दिया । साबिक नंबर, साबिक रकबे व साबिक नक्शे व साबिक किस्म में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार भू-प्रबंध विभाग को नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर साबिक आराजियात के रकबे में से कमी की गई रकबा 0.76 है0 की पूर्ति कराई जावे तथा साबिक नक्शे के अनुरूप वर्तमान नक्शे व जमाबंदी में इंद्राज दुरूस्ती कराई जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 1.7.2015 से प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना अपास्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत राजकीय अधिवक्ता का पद रिक्त होने तथा अन्य रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने भू-राजस्व अधि0 1956 में राजस्व अभिलेख के इंद्राज में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर किस प्रकार से कार्यवाही अमल में लाई जावेगी का भली-भांति अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलांट विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार है । अपीलांट के साबिक आराजी संख्या 187/1-ख का रकबा 1.51 है0 बनना चाहिये जिसकी जगह 1.28 है0 ही बनाया गया है, इस प्रकार इस खसरे में 0.23 है0 की कमी कर दी गयी है तथा इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 187/1-घ/1 रकबा 3.19 बिस्वा का रकबा 0.85 है0 बनने चाहिये थे किन्तु 0.32 है0 रकबा ही कायम किया, इस प्रकार इस खसरे में 0.53

है0 की कमी की गई है । इस प्रकार दोनों खसरें में कुल 0.76 है0 रकबा कम कर दिया गया जबकि मोके पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । भू-प्रबंध अधिकारियों ने नक्शें में भी मौके की स्थिति से भिन्न नवीन नक्शा बना दिया तथा रकबा कम कर दिया । साबिक नंबर, साबिक रकबे व साबिक नक्शे व साबिक किस्म में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार भू-प्रबंध विभाग को नहीं है । भू-प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया एवं किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के गैर कानूनी रूप से पूर्व अंकित खसरा नंबर के रकबे को वर्तमान में हाल खसरा में रकबे को कम कर दिया है जो गैर कानूनी है । भूप्रबंध विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही से बाहर जाकर कार्यवाही अमल में लाई गई जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित था । अधी0न्याया0 ने रकबा कमी के संबंध में मौका रिपोर्ट भी तलब की थी । उक्त मौका रिपोर्ट में भी रकबे में पूर्व साबिक खसरा नंबर के रकबे व हाल खसरा नंबर के रकबे में परिवर्तन होना माना है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में रकबे में हुई कमी को दस्तावेजी साक्ष्यों से राज्य सरकार को सिद्ध करना था किन्तु अधी0न्याया0 ने इसका भार अपीलांट पर डालते हुए निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलांट ने प्रकरण की ताईद में पूर्व साबिक खसरा संख्या की जमाबंदी एवं मिलान क्षैत्रफल एवं वर्तमान जमाबंदी से यह सिद्ध किया था कि हाल नये खसरा नंबरान में कम रकबा दर्ज किया गया है जो मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट था । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों एवं राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 111, 112, 128, 131 एवं 136 के प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 1.7.2015 अपास्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत सह कैम्प कोर्ट, चावण्डिया में किया गया था तथा प्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 1.7.2015 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था किन्तु उक्त निर्णय नियत समय पर नहीं लिखाये जाने के कारण प्रकरण के निर्णय की नकल प्रार्थी अभिभाषक को दिनांक 15.1.2016 को प्रदान की गई, जिसकी सूचना अभिभाषक द्वारा प्रार्थी को दिये जाने पर प्रार्थी ने दिनांक 18.3.2016 को अपने अभिभाषक से संपर्क कर आदेश की नकल प्राप्त की जाकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । हम

सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि अपीलांट की खातेदारी की आराजियात ग्राम चावण्डिया, तहसील सहाड़ा में स्थित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की साबिक आराजी नंबर 187/1-ख रकबा 7 बीघा, खसरा नंबर 187/1-घ/1 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । हाल बंदोबस्त में साबिक आराजी खसरा नंबर 127/1-ख रकबा 7 बीघा के हाल नंबर 166 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 167 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 168 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 169 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 170 रकबा 0.30 है0, खसरा नबर 176 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 177 रकबा 0.03 है0, खसरा नबर 178 रकबा 0.03 है0 किता 8 कुल रकबा 1.28 है0 कायम किया जाकर कुल किता 8 कुल रकबा 1.28 है0 कायम किये गये है जबकि हाल खसरा नंबरों का हाल रकबा 1.51 है0 कायम करना चाहिये था । इस प्रकार इस खसरे में 0. 23 है0 की कमी की गई है । इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 187/1घ/1 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा के हाल रकबा 0.85 है0 बनना चाहिये था किन्तु उक्त साबिक खसरा से कायम नवीन खसरा नंबर 179 रकबा 0.32 है0 कायम किया गया । इस साबिक खसरा नंबर से कायम नवीन खसरा नंबर 179 में 0.53 है0 की कमी कर दी गई । इस प्रकार कुल रकबे में 0.76 है0 की कमी की गई है । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2042 से 2045, जमाबंदी संवत् 2037 से 2040, साबिक नक्शा ट्रेस की फोटों प्रति प्रमाणित, जमाबंदी की नकल संवत् 2063 से 2066, हाल नक्शा ट्रेस, मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की थी । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण दर्ज होने पर रेस्पो0 की ओर से पैरोकार सरकार ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट के रकबे में कमी होना स्वीकार किया है । अधी0न्याया0ने अपने निर्णय के विवेचन में यह अंकित किया है कि प्रार्थी/अपीलांट के नाम 0.76 है0 भूमि कम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है, किन्तु उक्त भूमि किस खातेदार या बिलानाम में दर्ज की गयी इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर नही है जिससे प्रार्थी का रकबा बराबर किया जा सके । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 5 में अंकित किया है कि हाल आराजी नंबर 194, 1300/174, 175, 193 प्रार्थी की आराजियात के पास स्थित है जिनमें प्रार्थी के रकबे को मिला दिया गया है । उक्त आराजी नंबर विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है । जब प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट

कर दिया था तो अधी0न्याया0 को चाहिये था कि इस संबंध में पटवारी हल्का से विपक्षी संख्या 2 के साबिक खसरा नंबर एवं हाल खसरा नंबर तथा साबिक एवं हाल खसरा नंबर में कमी या अधिकता के संबंध में जांच करवा कर मौका रिपोर्ट प्राप्त करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर मात्र इस आधार पर कि इस बाबत् कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है प्रार्थी/अपीलांट का प्रकरण निरस्त किया है । अपीलांट की साबिक आराजियात से हाल बंदोबस्त के दौरान कायम खसरा नंबरों में कम हुआ रकबा किन खसरा नंबरों में सम्मिलित हुआ है आदि की पुष्टि के संबंध में पटवारी हल्का से अपीलांट एवं पडौसी काश्तकारों के साबिक एवं हाल खसरा नंबरों एवं रकबा बरारी करवा कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती थी परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा ऐसा नहीं कर साक्ष्य अभव में प्रकरण को निर्णित किया है जो विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 1.7.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 51/2016 (2016/00042) बउनवानी लालू बनाम राज0 सरकार को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधी0न्याया0 का प्रकरण संख्या 26/2009 बउनवान लालू बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 1.7.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट की साबिक आराजियात से हाल बंदोबस्त के दौरान कायम खसरा नंबरों में कम हुआ रकबा किन खसरा नंबरों में सम्मिलित हुआ है आदि पुष्टि के संबंध में पटवारी हल्का अपीलांट व पड़ौसी काश्तकारों के साबित व हाल खसरा नंबरों एवं रकबा बरारी करवा कर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर